मशीन वाली गिनती: ज़िला परिषद और पंचायत समिति

पंचायती राज चुनाव 2026 · ज़िला बालोतरा · गिनती का स्टाफ़

ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के वोट मशीन से पड़ते हैं; इनकी गिनती ज़िला मुख्यालय पर ही होगी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288, 289]

बालोतरा: गिनती 20.11.2026 (शुक्रवार) को सुबह 8 बजे से, ज़िला मुख्यालय पर। दोनों चरणों के वोट उसी दिन गिने जाएँगे। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9]

गिनती प्रशिक्षण: ज़िला परिषद और पंचायत समिति · स्रोत: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के आदेश और पुस्तकें

सावधान: अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं; इसमें उनसे कुछ अलग दिखे, तो आदेश और नियम ही मानिए।

गिनती की जगह और हॉल तैयार कीजिए

- तारीख़ और समय रिटर्निंग अधिकारी नियम 49-घ के तहत तय करेंगे, आयोग के घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखकर। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289]
- गिनती ज़िला मुख्यालय पर ही। जगह रिटर्निंग अधिकारी तय करेंगे, ज़िला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289]
- हो सके तो एक ही भवन। क्षेत्र और बूथ ज़्यादा हों, तो ज़िला निर्वाचन अधिकारी दो भवन भी चुन सकते हैं; कोशिश रहे, पास-पास हों। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289]
- बड़ा हॉल अस्थायी पार्टीशन से कई कक्षों में बाँट सकते हैं; हो सके तो हर कक्ष का प्रभारी अलग सहायक रिटर्निंग अधिकारी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289]
- गिनती की तारीख़, समय और जगह की लिखित सूचना हर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को, मतदान की तारीख़ से कम से कम एक सप्ताह पहले; बदले, तो बदलाव की सूचना भी लिखकर। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289]
- हॉल बड़ा हो, रोशनी ठीक हो; अस्थायी ढाँचे में गिनती नहीं। सुरक्षा दोहरी और पूरी, भीड़-भाड़ नहीं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289]

मशीन पहचानिए: कमरा और स्टीकर उसी से तय

मशीन	कंट्रोल यूनिट	गिनती का कमरा	स्टीकर
BEL की ईवीएम (M3A, MK-5 Model)	दोनों पदों की कंट्रोल और बैलेट यूनिट अलग-अलग	दोनों पदों की गिनती अलग-अलग कक्ष या हॉल में	ज़िला परिषद वाली कंट्रोल यूनिट और उसके कैरिंग बक्से पर पीला; पंचायत समिति वाली यूनिट पर नीला
ECIL की MPSV और MPMV ईवीएम, दोनों पदों का चुनाव साथ	दोनों पदों के लिए एक ही कंट्रोल यूनिट	दोनों पदों की गिनती एक ही कक्ष या हॉल में	ज़रूरत नहीं; पर यूनिट सिर्फ़ एक पद के लिए लगी हो, तो सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की तरह यथा स्थिति स्टीकर

स्रोत: पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288, 289

- कंट्रोल यूनिटें कैरिंग बक्सों में आएँगी; बक्सों पर 3 X 6 से.मी. के पीले या नीले स्टीकर, ताकि पता रहे कि मशीन किस पद की है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]
- ध्यान रहे: ऊपर की तालिका के हिसाब से ECIL की MPSV या MPMV ईवीएम में एक ही कंट्रोल यूनिट दोनों पदों की हो, तो स्टीकर की ज़रूरत नहीं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 288, 289]

टेबल लगाइए, टेबल पर सामान रखिए

- पहले तय कीजिए: कितनी टेबल। इसी से तय होंगे गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक, और हर उम्मीदवार के गणन अभिकर्ता। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- एक कमरे में कई टेबल हों, तो क्रम से नंबर डालिए; बीच में पर्यवेक्षक, सहायक और उम्मीदवार या एजेंट के बैठने की जगह छोड़िए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- कई क्षेत्रों की गिनती एक कमरे में साथ हो सकती है, तब जगह पूरी हो और गोपनीयता बनी रहे; वरना एक क्षेत्र पूरा होने पर अगला। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290, 291]
- कमरे में बस उसी क्षेत्र के उम्मीदवार और एजेंट, जिसकी गिनती चल रही है; बाकी उसी भवन के तय कमरे में इंतज़ार करें। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290, 291]
- हर टेबल पर: नीली स्याही का बॉल-पॉइंट पेन, सीलें खोलने को चाकू या ब्लेड, प्रारूप 14 के भाग 1 का लेखा, कागज़ की दो शीट। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]
- प्रारूप 14 के भाग 2 में गिनती का परिणाम गणना पर्यवेक्षक लिखेंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]

हर टेबल पर स्टाफ़ लगाइए

- हर टेबल पर एक गणना पर्यवेक्षक और एक गणना सहायक; रिटर्निंग अधिकारी लगाएँगे, ज़िला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- MPSV या MPMV से दोनों पदों की गिनती साथ-साथ हो, तो एक अतिरिक्त गणना सहायक। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- गणना पर्यवेक्षक राजपत्रित या बराबर के अधिकारी; राज्य सरकार के विभागों, निगमों, मंडलों, संस्थानों के भी हो सकते हैं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- गणना सहायक राजपत्रित न भी हों, पर हो सके तो सुपरवाइज़री पद के स्तर के। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- किसी दल या उम्मीदवार से जुड़ा व्यक्ति नहीं; सब निष्पक्ष। रिज़र्व स्टाफ़ समेत सबको ठीक से प्रशिक्षण। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- सील करने के सहायक भी: ईवीएम, एसडीएमएम या डीएमएम (MPSV, MPMV पर) और कागज़ात के लिए; ये भी इसी अनुमोदन से। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति जाँचिए (प्ररूप-10)

- नियम 70: उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्ररूप-10 में गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- गणन अभिकर्ता टेबलों से ज़्यादा नहीं; रिटर्निंग अधिकारी की टेबल भी गिनी जाती है। एक रिलीफ़ (Relief) एजेंट भी रख सकते हैं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- एक पत्र पर कई अभिकर्ता हो सकते हैं। अभिकर्ता के सहमति वाले हस्ताक्षर न हों, तो नियुक्ति मान्य नहीं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- नियुक्ति पत्र और बैज पर अभिकर्ता की फ़ोटो: उस पर उसके अपने हस्ताक्षर, और उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता से प्रमाणित। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]
- नियुक्ति पत्र दो प्रमाणित फ़ोटो के साथ, गिनती के दिन से कम से कम दो दिन पहले, रिटर्निंग अधिकारी को। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]
- एक प्रति फ़ोटो लगाकर उसी समय वापस। दूसरी फ़ोटो से बैज: टेबल क्रमांक, उम्मीदवार का नाम, चुनाव का विवरण, क्षेत्र संख्या। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]

गिनती के दिन अभिकर्ताओं को बैठाइए

- गिनती से कम से कम आधा घंटा पहले: प्ररूप-10 की घोषणा, रिटर्निंग अधिकारी (या नियम 58 वाले अधिकृत अधिकारी) के सामने हस्ताक्षर। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]
- साफ़ बता दीजिए: गिनती के बीच कमरे से बाहर नहीं जाने देंगे; जो बाहर गया, उसे दोबारा अंदर नहीं आने देंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]
- सारे बैज अलग रजिस्टर में चढ़ेंगे; बैज पर क्रम संख्या और रिटर्निंग अधिकारी की सील। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]
- बिना बैज और बिना नियुक्ति पत्र कोई गणन अभिकर्ता भवन में नहीं। उम्मीदवार और निर्वाचन अभिकर्ता को भी फ़ोटो वाले बैज। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]
- गणन अभिकर्ता सिर्फ़ अपनी दी गई टेबल पर। किसी भी टेबल पर सिर्फ़ उम्मीदवार और उसका निर्वाचन अभिकर्ता जा सकते हैं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]
- यह व्यवस्था रिटर्निंग अधिकारी नियम-49 घ की सूचना के साथ दलों, उम्मीदवारों को बताएँगे; ज़िला स्तर पर ज़िला निर्वाचन अधिकारी भी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]

गणन अभिकर्ता कितने

- नियम 70(2): उम्मीदवार उतने गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, जितनी टेबलें रिटर्निंग अधिकारी ने गिनती के लिए उपलब्ध कराई हैं, और एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबल के लिए, और एक अवमुक्ति (Reliever) अभिकर्ता। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 171; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 172]
- आदेश का पैरा 4: हर उम्मीदवार कितने गणन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, यह इसी पर टिका है कि गिनती की हर जगह पर कितनी टेबलें लगें। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- आदेश का पैरा 6: गणन अभिकर्ता टेबलों की संख्या से ज़्यादा नहीं; इनमें रिटर्निंग अधिकारी की टेबल भी शामिल; एक रिलीफ़ एजेंट भी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290]
- आदेश का पैरा 10, अंदर आने वालों की सूची: "प्रति गणन मेज पर एक गणन अभिकर्ता"। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]

सिर्फ़ इन्हें अंदर आने दीजिए

- नियम 58 के साथ नियम 68, 70 और नियम 49 घ के उप नियम-(4): सिर्फ़ 4 तरह के लोग गिनती की जगह में। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]
- (क) गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक बने मतदान अधिकारी और सहायक मतदान अधिकारी। (ख) राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकृत व्यक्ति। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]
- (ग) चुनाव की ड्यूटी पर लगे लोक-सेवक। (घ) उम्मीदवार, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, और हर गणन मेज पर एक गणन अभिकर्ता। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]
- पुलिस को रिटर्निंग अधिकारी कानून-व्यवस्था के लिए बुला सकते हैं; आम हालत में नहीं, वरना बेवजह दिखावे की शिकायत हो सकती है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]
- मंत्री, सांसद, विधायक, प्रधान, ज़िला प्रमुख या सुरक्षा कवर वाला कोई अभिकर्ता नहीं बन सकता; ख़ुद उम्मीदवार न हो, तो अंदर नहीं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]
- मंत्रियों, सांसदों, विधायकों वगैरह के गिनती केंद्र में आने पर रोक का आयोग का अलग आदेश भी है; उसका पालन हो। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 301]

अनुशासन और गोपनीयता रखिए

- गिनती के कमरे में धूम्रपान बिल्कुल मना। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291]
- रिटर्निंग अधिकारी के क़ानूनी निर्देश न माने या ग़लत बर्ताव करे, तो कमरे से बाहर; बाहर की पुलिस की मदद ली जा सकती है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 291, 292]
- गिनती से जुड़ा हर व्यक्ति वोटों की गोपनीयता रखेगा: अधिकारी, लिपिक, उम्मीदवार, सारे अभिकर्ता। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]
- लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 इन चुनावों में भी लागू; गिनती से पहले कमरे में सबको समझा दीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]
- बैरिकेडिंग ऐसी हो कि उम्मीदवार या अभिकर्ता किसी "मतपत्र" को छू न पाएँ, पर गिनती आसानी से देख सकें। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 301]
- मीडिया कर्मियों के आने, और गिनती केंद्र पर मोबाइल फ़ोन के बारे में, आयोग के अलग निर्देश हैं; उनका पालन हो। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 301]

डाक मतपत्र सबसे पहले गिनिए

- डाक मतपत्र सबसे पहले, उसी कमरे में जहाँ उस क्षेत्र की गिनती है; उस क्षेत्र की मशीनों से पहले ये पूरे हो जाएँ। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]
- तय समय के बाद आया लिफ़ाफ़ा न खोलिए: बिना खोले अस्वीकार, अलग लिफ़ाफ़े में सील, ऊपर विवरण; प्ररूप-7 में दर्ज नहीं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]
- ड्यूटी स्टाफ़ का डाक मतपत्र: नियम 35; गिनने और अस्वीकार करने की रीति आदेश 1134 दिनांक 29.01.2026 (सां. आ. 153/2026) में। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289, 292]
- हर उम्मीदवार और नोटा के वैध डाक वोट गिनकर सुनाइए; मशीन के वोटों में जोड़कर प्रारूप 7 वाले परिणाम पत्र में भरिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]
- हर पद के वैध और अस्वीकार डाक मतपत्रों के अलग बंडल, एक पैकेट में; पैकेट पर रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मुहर, और जो उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें, उनकी भी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]
- पैकेट पर लिखिए: ज़िला परिषद या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, गिनती की तारीख़, अंदर की चीज़ों का ब्यौरा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]

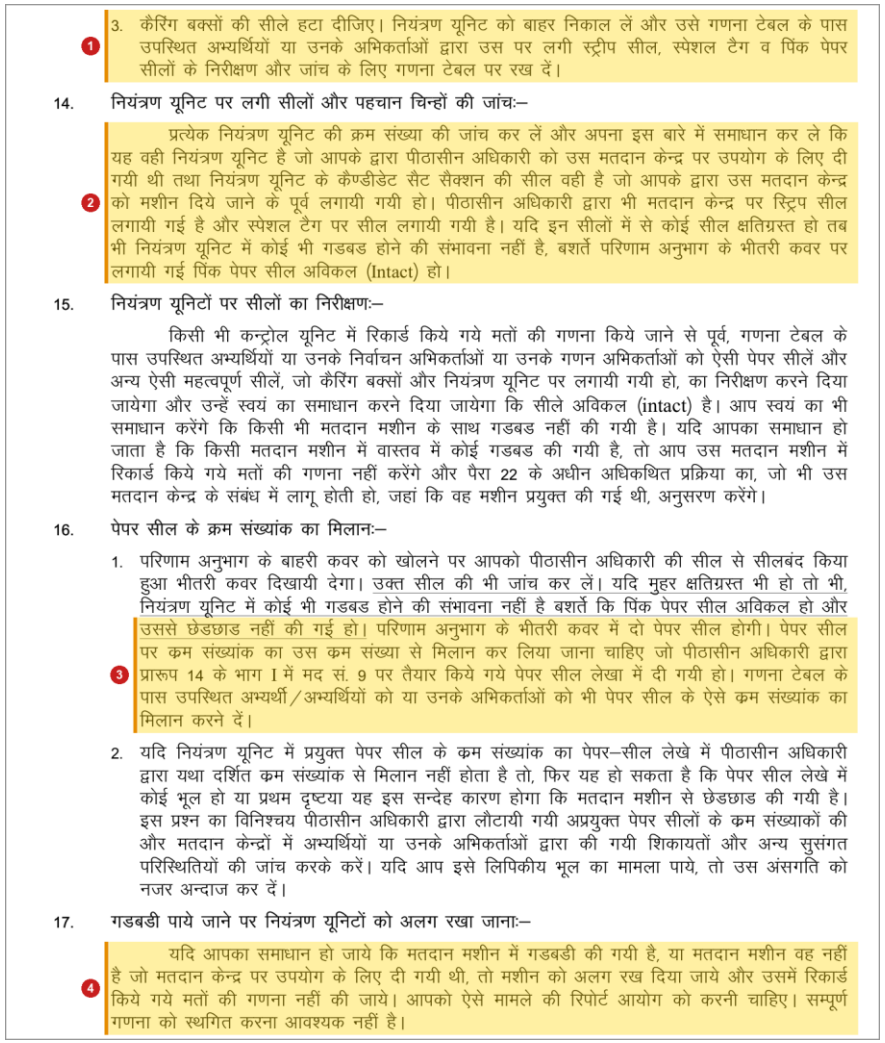
कंट्रोल यूनिट टेबल पर लगाइए

- गिनती से पहले नियम 49-ग के हिसाब से कंट्रोल यूनिटों की जाँच; उम्मीदवार या अभिकर्ता इनकी सीलें देख सकेंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]
- यूनिटें बूथ के क्रम से: बूथ 1 वाली टेबल 1 पर, बूथ 2 वाली टेबल 2 पर, इसी तरह आगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]
- पंचायत समिति क्षेत्र में बूथ कम हों, तो एक टेबल पर मशीनें एक-एक करके; यह बँटवारा लिखकर रखिए, चार्ट बोर्ड पर लगाइए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]
- हर यूनिट के साथ टेबल पर: उस बूथ का प्रारूप 14 का लेखा, और मतदान अधिकारी की घोषणा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]
- रिज़ल्ट के लिए सिर्फ़ कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट हॉल में तभी, जब माँग पर या ख़ास मामले में उसकी जाँच ज़रूरी हो। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]
- पर BEL की MK-V मॉडल वाली ईवीएम में रिज़ल्ट के लिए कंट्रोल यूनिट के साथ बैलेट यूनिट जोड़ना ज़रूरी है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]

सीलें जाँचिए, पेपर सील के नंबर मिलाइए

- बक्से पर मतदान अधिकारी की सील जाँचिए; ठीक न हो, तो भी आशंका नहीं, अगर यूनिट की स्ट्रिप सील और पिंक सील अविकल (Intact) हों। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 293]
- यूनिट टेबल पर रखिए; उम्मीदवारों को स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सीलें देखने दीजिए। आप भी तसल्ली कीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]
- यूनिट की क्रम संख्या जाँचिए: यह वही यूनिट हो, जो उस बूथ के मतदान अधिकारी को दी गई थी; और कैंडिडेट सैट सैक्शन की सील वही हो, जो मशीन देने से पहले लगाई गई थी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]
- स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग या भीतरी कवर की मुहर ख़राब हो, तो भी आशंका नहीं, अगर पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]
- भीतरी कवर की दो पेपर सीलों की क्रम संख्या प्रारूप 14 के भाग I की मद सं. 9 से मिलाइए; उम्मीदवारों को भी मिलाने दीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]
- नंबर न मिलें: लौटाई गई बिना इस्तेमाल सीलों के नंबर, शिकायतें, हालात देखकर तय कीजिए। लिपिकीय भूल हो, तो नज़रअंदाज़। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]

आदेश: बक्से और यूनिट की सील जाँच



3. कैरिंग बक्सों की सीले हटा दीजिए। नियंत्रण यूनिट को बाहर निकाल लें और उसे गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उस पर लगी स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग व पिंक पेपर सीलों के निरीक्षण और जांच के लिए गणना टेबल पर रख दें।

14. नियंत्रण यूनिट पर लगी सीलों और पहचान चिन्हों की जांच:–

प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या की जांच कर लें और अपना इस बारे में समाधान कर ले कि यह वही नियंत्रण यूनिट है जो आपके द्वारा पीठासीन अधिकारी को उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी तथा नियंत्रण यूनिट के कैण्डीडेट सैट सैक्शन की सील वही है जो आपके द्वारा उस मतदान केन्द्र को मशीन दिये जाने के पूर्व लगायी गयी हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मतदान केन्द्र पर स्ट्रिप सील लगायी गई है और स्पेशल टैग पर सील लगायी गयी है। यदि इन सीलों में से कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है, बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगायी गई पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो।

15. नियंत्रण यूनिटों पर सीलों का निरीक्षण:–

किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की गणना किये जाने से पूर्व, गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं को ऐसी पेपर सीलें और अन्य ऐसी महत्वपूर्ण सीलें, जो कैरिंग बक्सों और नियंत्रण यूनिट पर लगायी गयी हो, का निरीक्षण करने दिया जायेगा और उन्हें स्वयं का समाधान करने दिया जायेगा कि सीले अविकल (intact) है। आप स्वयं का भी समाधान करेंगे कि किसी भी मतदान मशीन के साथ गडबड नहीं की गयी है। यदि आपका समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गडबड की गयी है, तो आप उस मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं करेंगे और पैरा 22 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का, जो भी उस मतदान केन्द्र के संबंध में लागू होती हो, जहां कि वह मशीन प्रयुक्त की गई थी, अनुसरण करेंगे।

16. पेपर सील के क्रम संख्यांक का मिलान:–

1. परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को खोलने पर आपको पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया हुआ भीतरी कवर दिखायी देगा। उक्त सील की भी जांच कर लें। यदि मुहर क्षतिग्रस्त भी हो तो भी, नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है बशर्ते कि पिंक पेपर सील अविकल हो और उससे छेडछाड नहीं की गई हो। परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर में दो पेपर सील होगी। पेपर सील पर कम संख्यांक का उस कम संख्या से मिलान कर लिया जाना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रारूप 14 के भाग I में मद सं. 9 पर तैयार किये गये पेपर सील लेखा में दी गयी हो। गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को भी पेपर सील के ऐसे कम संख्यांक का मिलान करने दें।
2. यदि नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त पेपर सील के कम संख्यांक का पेपर–सील लेखे में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा दर्शित कम संख्यांक से मिलान नहीं होता है तो, फिर यह हो सकता है कि पेपर सील लेखे में कोई भूल हो या प्रथम दृष्टया यह इस सन्देह कारण होगा कि मतदान मशीन से छेडछाड की गयी है। इस प्रश्न का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रम संख्याकों की और मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतों और अन्य सुसंगत परिस्थितियों की जांच करके करें। यदि आप इसे लिपिकीय भूल का मामला पाये, तो उस असंगति को नजर अन्दाज कर दें।

17. गडबडी पाये जाने पर नियंत्रण यूनिटों को अलग रखा जाना:–

यदि आपका समाधान हो जाये कि मतदान मशीन में गडबडी की गयी है, या मतदान मशीन वह नहीं है जो मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी, तो मशीन को अलग रख दिया जाये और उसमें रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं की जाये। आपको ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को करनी चाहिए। सम्पूर्ण गणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

मूल: पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. बक्सों की सीलें हटाइए, कंट्रोल यूनिट निकालिए और गिनती टेबल पर रखिए, ताकि उम्मीदवार या अभिकर्ता उसकी स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग और पिंक पेपर सीलें देख-जाँच सकें। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]

2. क्रम संख्या जाँचिए: यह वही यूनिट हो जो आपने उस बूथ के मतदान अधिकारी को दी थी, और कैंडिडेट सैट सैक्शन की सील वही हो जो मशीन देने से पहले आपने लगाई थी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]

- मतदान अधिकारी की लगाई स्ट्रिप सील या स्पेशल टैग की सील ख़राब हो, तो भी गड़बड़ की आशंका नहीं, बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगी पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]

3. भीतरी कवर की दो पेपर सीलों की क्रम संख्या प्रारूप 14 के भाग I में मद सं. 9 वाले पेपर सील लेखे से मिलाइए; उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं को भी मिलाने दीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]

4. तसल्ली हो जाए कि मशीन में सच में गड़बड़ हुई है, या यह वह मशीन नहीं जो उस बूथ को दी गई थी: मशीन अलग रखिए और उसके वोट न गिनिए; आयोग को रिपोर्ट कीजिए। पूरी गिनती रोकना ज़रूरी नहीं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]

गड़बड़ वाली मशीन: आदेश क्या कहता है

- तसल्ली हो जाए कि मशीन में सच में गड़बड़ है, या यह उस बूथ वाली मशीन नहीं, तो मशीन अलग रखिए और उसके वोट न गिनिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]
- पैरा 15: ऐसी मशीन के वोट न गिनें, और पैरा 22 में लिखी प्रक्रिया अपनाएँ, "जो भी उस मतदान केन्द्र के संबंध में लागू होती हो"। पैरा 22 तब के लिए है, जब गिनती पूरी होने से पहले रोकनी पड़े। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294, 297]
- पैरा 17: मशीन अलग रखें, उसके वोट न गिनें, रिपोर्ट आयोग को करें; पूरी गिनती रोकना ज़रूरी नहीं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]
- नियम 49ग(4): सच में गड़बड़ी की तसल्ली हो, तो उस मशीन के वोट नहीं गिने जाएँगे; उस बूथ के लिए नियम 49 ख वाली प्रक्रिया। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 165]
- पैरा 23 में एक स्थिति यह है: गिनती पूरी होने से पहले रिपोर्ट हो कि किसी बूथ की मशीन को इतना नुकसान पहुँचाया गया है, या उसमें ऐसी गड़बड़ कर दी गई है, कि उस बूथ का परिणाम तय नहीं किया जा सकता; तब ऐसे सब तथ्यों की रिपोर्ट आयोग को तुरंत की जाए, और उस बूथ के वोटों की गिनती पर आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा की जाए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297, 298]
- यानी पैरा 15 और 17 में टकराव नहीं: उस मशीन के वोट न गिनिए; पूरी गिनती रोकना ज़रूरी नहीं, और गिनती रोकनी पड़े, तभी पैरा 22 वाली प्रक्रिया। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294, 297]

पहले मशीन देखिए, फिर रिज़ल्ट निकालिए

- बूथ का रिज़ल्ट कंट्रोल यूनिट से निकलता है। किस मशीन के लिए कौन-सा तरीक़ा है, यह आदेश में अलग-अलग लिखा है।
- आदेश का पैरा 18: कदमों के साथ मशीन का नाम नहीं; इसके आख़िर में BEL की MK-V और M3A की बात है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]
- ECIL की MPSV और MPMV के लिए अगला पैरा 19 अलग से है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]
- MPSV या MPMV से दोनों पदों का चुनाव साथ: रिज़ल्ट के लिए सिर्फ़ कंट्रोल यूनिट; दोनों पदों का रिज़ल्ट इसी में, इसलिए एक कमरा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]
- आदेश: MPSV का पूरा तरीक़ा आयोग की वेबसाइट वाली पुस्तिका में; MPMV का तरीक़ा भी MPSV जैसा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]
- रिटर्निंग अधिकारी गिनती से पहले ये निर्देश अच्छी तरह पढ़ लें। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]

आदेश के पैरा 18 वाले कदम

कदम	क्या करें
1	पीछे के कम्पार्टमेंट का पावर स्विच दबाकर ऑन कीजिए, कंट्रोल यूनिट ऑन कीजिए; प्रदर्शन अनुभाग में हरी बत्ती चमकेगी।
2	परिणाम-अनुभाग के भीतरी कवर के ऊपरी छेद के नीचे लगे परिणाम बटन के ऊपर की पेपर-सील निकालिए।
3	परिणाम बटन दबाइए।
4	बूथ पर हर उम्मीदवार को मिले कुल वोट पैनल पर अपने आप, एक-एक करके, दिखेंगे।
5	यह रिज़ल्ट प्रारूप 14 "मतगणना का परिणाम" के भाग II में उम्मीदवारवार, नोटा सहित, लिखिए।
6	ज़रूरत हो, तो उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं को लिखने देने के लिए परिणाम बटन फिर दबाइए।
7	रिज़ल्ट लिख लेने के बाद परिणाम-अनुभाग का कवर बंद कीजिए, और कंट्रोल यूनिट "स्विच ऑफ" कीजिए।

स्रोत: पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295

- अपग्रेडेड पोस्ट 2006 MK-V, M3A वाली EVM: रिज़ल्ट के लिए बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट से जोड़नी होगी; बाकी तरीक़ा वैसा ही। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295, 293]
- नियम 49घ(5): तसल्ली के बाद रिटर्निंग अधिकारी "Result" बटन दबाकर गिनती करेंगे; पैनल पर कुल वोट और हर उम्मीदवार के वोट। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 166]

MPSV से रिज़ल्ट: पुस्तिका का अध्याय 6

- आयोग का आदेश: MPSV से रिज़ल्ट निकालने का पूरा तरीक़ा आयोग की वेबसाइट वाली MPSV अनुदेश पुस्तिका में है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]
- वेबसाइट वाली MPSV अनुदेश पुस्तिका में गिनती का तरीक़ा अध्याय 6 "मतगणना स्थल पर प्रक्रिया" में है। [MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 43; MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 33]

MPSV पुस्तिका, कदम 1-5: सील जाँचिए, RESULT-I दबाइए

कदम	क्या करें
1	सील जाँचकर ही हटाइए; यूनिट कैरिंग केस से निकालकर टेबल पर रखिए। Candidate Section, Result सेक्शन और लंबी स्ट्रिप सील जाँचकर हटाइए; Result सेक्शन का कवर खोलिए।
2	'Result-I' और 'Result-II' बटन के नीचे दो छेद वाली पिंक पेपर सील दिखेगी। भीतरी कम्पार्टमेंट के विशेष टैग की सील न तोड़िए, न खोलिए।
3	पिंक पेपर सील सही, तो छेड़छाड़ नहीं। कैरिंग केस, Candidate Set Section या Result Section की कोई सील ख़राब, पर पिंक सही: बूथ का परिणाम घोषित हो सकता है। पिंक सील से छेड़छाड़: यूनिट अलग रखिए, परिणाम निकालने की कोशिश न कीजिए।
4	पिंक पेपर सील सही होने की जाँच के बाद पावर स्विच ON कीजिए; हरा लैंप जलेगा।
5	'RESULT-I' पर लगी पिंक पेपर सील अंदर कीजिए, 'RESULT-I' दबाइए: हर उम्मीदवार के कुल वोट, और UNDER VOTES व UNFINISHED VOTERS की संख्या दिखेगी।

स्रोत: MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 43

MPSV पुस्तिका, कदम 6-9: लिखिए, बंद कीजिए, SDMM निकालिए

कदम	क्या करें
6	परिणाम लिखने के लिए ज़रूरत हो, तो 'RESULT-I' कितनी भी बार दबा सकते हैं।
7	स्विच ऑफ़ करके यूनिट के पीछे का डिब्बा बंद कीजिए। परिणाम लिख लेने के बाद परिणाम अनुभाग का कवर बंद कीजिए।
8	SDMM निकालने से पहले यूनिट बंद कीजिए। Cand. Set के बाहरी और भीतरी कम्पार्टमेंट की सील हटाकर दरवाज़ा खोलिए; बैटरी पैक और SDMM निकालिए।
9	चुनाव का सारा डेटा SDMM में रहता है; इसे आयोग की तय प्रक्रिया से सील कीजिए (निर्देश आयोग ने अलग से दिए हैं)।

स्रोत: MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 44

गिनती के बाद MPSV पर क्या सील हो

- आयोग का आदेश: MPSV और MPMV से गिनती पूरी होने पर ईवीएम सील नहीं होगी; सिर्फ़ एसडीएमएम या डीएमएम निकालकर सील होगा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298, 299]
- ईवीएम मार्गदर्शिका में भी यही: ECIL की MPSV ईवीएम सील नहीं करनी है; सिर्फ़ उसका SDMM, आयोग के पत्र के मुताबिक़, सील होगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 82]
- मशीन की निर्देश पुस्तिका में परिणाम अनुभाग और Cand. Set के कवर सील करने के क़दम भी लिखे हैं; पर SDMM की सील वह आयोग की तय प्रक्रिया पर छोड़ती है, और कहती है कि इसके बाद मशीन नए SDMM के साथ फिर चुनाव में काम आ सकती है। [MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 44]
- यानी सील आयोग के आदेश के मुताबिक़ होगी: मशीन नहीं, सिर्फ़ एसडीएमएम या डीएमएम सील होगा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 299; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 82; MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 44]

MPSV टेबल पर सहायक और अभिकर्ता बैठाइए

- मशीन में पहला पद ज़िला परिषद सदस्य, दूसरा पंचायत समिति सदस्य; इसलिए पहले ज़िला परिषद का रिज़ल्ट दिखेगा, फिर पंचायत समिति का। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- कंट्रोल यूनिट बीच में। एक तरफ़ पंचायत समिति का डाटा लिखने वाले गणना सहायक, दूसरी तरफ़ ज़िला परिषद वाले। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- ज़िला परिषद के उम्मीदवारों के गणन अभिकर्ता ज़िला परिषद वाले सहायकों की तरफ़; पंचायत समिति वालों के, उनकी तरफ़। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- टेबल पर लेखन सामग्री दोनों पदों के हिसाब से। आदेश के बिंदु 12 से 19 वाले बाकी निर्देश भी यथास्थिति लागू। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- रिज़ल्ट दिखाते समय इन मशीनों में Under Vote & Unfinished Voter की संख्या भी दिखेगी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]

Under Vote और Unfinished Voter समझिए

- Under Vote: मतदाता ने किसी उम्मीदवार को वोट दिए बिना END बटन दबा दिया। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]
- यानी किसी भी पद पर वोट नहीं दिया, या दो में से एक पद पर वोट देकर END दबा दिया। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]
- तब उस पद के वोट, वोट डालने आए मतदाताओं से कम होंगे; यही अंतर Under Vote की संख्या में दिखेगा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]
- Unfinished Voters: दो में से एक ही पद पर वोट दिया, END नहीं दबाया, और बूथ छोड़कर चले गए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295, 296]
- तब मतदान अधिकारी ने अगले मतदाता के लिए कंट्रोल यूनिट बंद करके फिर से ऑन की। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295, 296]
- जिस पद पर उन्होंने वोट नहीं दिया, वह उस पद के लिए Under Vote में भी गिना जाएगा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295, 296]

Under Vote: आयोग के आदेश 5468 और 9508

- “Under Vote और Unfinished Voter समझिए” वाली स्लाइड में दोनों परिभाषाएँ संकलन में जैसी छपी हैं, वैसी दी गई हैं। आयोग के आदेश 5468 और 9508 में अब हर बैलेट यूनिट का END बटन मास्क रखने को कहा गया है। [आदेश 5468, दि. 04.08.2026, पृ. 1; आदेश 9508, दि. 28.09.2026, पृ. 1]
- आदेश 9508 के बिंदु D में यह भी लिखा है: MPSV या MPMV मशीन में अंडर वोट (under vote) की संख्या शून्य के अलावा कुछ और दिखे, तो परिणाम में उस संख्या को रिजेक्टेड वोटों में जोड़कर अंतिम परिणाम शीट तैयार की जाए। [आदेश 9508, दि. 28.09.2026, पृ. 2]

प्रारूप 14 का भाग II भरिए

- पैनल पर वोट दिखते ही गणना पर्यवेक्षक हर उम्मीदवार और नोटा के वोट प्रारूप 14 के भाग II "गणना का परिणाम" में लिखें। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- भाग II में यह भी लिखिए: कुल जोड़ भाग I की मद 5 के कुल वोटों से मिलता है या नहीं, कोई अंतर तो नहीं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करें, टेबल के पास मौजूद उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं के भी करवाएँ, फिर प्रारूप सौंपें। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी जाँचकर हस्ताक्षर करेंगे, और प्ररूप-7 बना रहे अधिकारी को सौंपेंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- मशीन में दर्ज हर वोट आम तौर पर वैध है; इसकी वैधता पर विवाद नहीं उठेगा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]
- कोई रिज़ल्ट ठीक से न लिख पाया हो, तो परिणाम-बटन फिर दबाइए; उस बूथ का रिज़ल्ट पैनल पर फिर दिखेगा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]

प्ररूप-7 में जोड़िए, जोड़ जाँचिए

- प्ररूप-7: हर उम्मीदवार और नोटा के मशीन वाले वोटों में डाक मतपत्रों के वैध वोट, नोटा सहित, जोड़कर। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- आयोग ने किसी बूथ पर नया मतदान करवाया हो, तो परिणाम पत्र में उस नए मतदान की गिनती ही जोड़िए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296, 297]
- नए मतदान का नतीजा परिणाम पत्र में आने तक कुल जोड़ न लगाइए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296, 297]
- कुल जोड़ ज़रूर जाँचिए; ग़लत जोड़ से नतीजा और उसकी घोषणा, दोनों बिगड़ते हैं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]
- आयोग इस प्रारूप के किसी भी अंतर को गंभीरता से लेगा; यह कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की वजह बनेगा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]
- निविदत्त मतपत्र (Tentered Vote) के लिफ़ाफ़े नहीं खुलेंगे; निविदत्त वोट नहीं गिने जाएँगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]

गिनती रोकनी पड़े तो सब सील कीजिए

- नियम 49-क: किसी मजबूरी में गिनती बीच में रोकनी या स्थगित करनी पड़े, तो सारी मशीनें और कागज़ सील कीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]
- उम्मीदवार या अभिकर्ता मशीनों और पैकेटों पर अपनी सील लगाना चाहें, तो लगाने दीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]
- सील की हुई मशीनें और पैकेट अलग कमरे में; कमरा सील से बंद और सुरक्षित, उस पर उम्मीदवारों की सील भी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]
- कमरे पर लगे तालों के साथ उम्मीदवार भी अपने ताले लगा सकते हैं। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]

मशीन बिगड़े या खो जाए: आयोग को तुरंत रिपोर्ट कीजिए

क्रम	गिनती पूरी होने से पहले पता चले कि बूथ की मशीन...
1	मतदान अधिकारी की अभिरक्षा से ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से निकाल ली गई
2	ग़लती से या जानबूझकर नष्ट हो गई या कर दी गई, या खो गई
3	इतना नुक़सान पहुँचा या ऐसी गड़बड़ हुई कि उस बूथ का रिज़ल्ट तय नहीं हो सकता
4	मतदान या गिनती के दौरान मशीन में तकनीकी ख़राबी आ गई
5	बूथ पर मतदान प्रक्रिया दूषित हो गई
6	बूथ कैप्चरिंग की वजह से बूथ का रिज़ल्ट तय नहीं हो सकता

स्रोत: पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297

- ऐसे सारे तथ्यों की रिपोर्ट तुरंत आयोग को कीजिए, और उस बूथ की गिनती पर आयोग के निर्देश का इंतज़ार कीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- नियम 48-ख और 49-क: आयोग गिनती रोकने का, और ज़रूरत हो तो नया मतदान करवाने का, आदेश दे सकता है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]
- दोबारा मतदान के बाद गिनती: तारीख़, समय, जगह तय करके हर उम्मीदवार को लिखकर सूचना; तरीक़ा वही, जहाँ तक लागू हो। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]

वोट बराबर हों तो लॉटरी निकालिए

- वोट बराबर हों, और एक वोट जुड़ने से ही कोई जीत सकता हो: रिटर्निंग अधिकारी उनके सामने तुरंत लॉटरी निकालेंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- लॉटरी की कार्यवाही लिखिए; मौजूद उम्मीदवार या अभिकर्ता हस्ताक्षर करें, तो उनके हस्ताक्षर भी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- यह विवरण बाकी कागज़ों के साथ अलग लिफ़ाफ़े में, सुरक्षित अभिरक्षा में। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- प्ररूप-7 में, जिसके पक्ष में लॉट निकला, उसके वोटों के आगे उसी हिसाब से प्रविष्टि। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- लॉटरी निकालने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]

लॉटरी का तरीक़ा

- नियम 51: वोट बराबर हों, तो परिणाम "ऐसी रीति से लाट निकालकर" घोषित होगा "जो रिटर्निंग अधिकारी उचित समझे"। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 159]
- आयोग का आदेश लॉटरी के कदम बताता है: सामने लॉटरी, लिखित विवरण, अलग लिफ़ाफ़ा, प्ररूप-7 में प्रविष्टि, और वीडियोग्राफी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]

दोबारा गिनती: मशीन वाले वोट

- आदेश: लागू क़ानूनी प्रावधानों में वोटों की पुनर्गणना की प्रक्रिया भी बताई गई है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289]
- नियम 58(5): मशीन से चुनाव में नियम 24क से 31, 35, 45, 46, 48, 48क, 48ख, 48ग, 49क, 49ख, 51 और 54, और अध्याय 4क, ज़रूरी बदलाव के साथ, लागू होते हैं। मत-पत्रों की पुनर्गणना वाला नियम 49 इस सूची में नहीं है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 169]
- नियम 49घ(5): रिटर्निंग अधिकारी कंट्रोल यूनिट का Result बटन दबाकर गिनती करेंगे; इससे कुल वोट और हर उम्मीदवार के वोट दिखते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 166]
- आदेश का पैरा 18.2: ज़रूरत हो, तो उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को परिणाम नोट करने देने के लिए परिणाम-बटन फिर से दबाया जाए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295]
- पैरा 21.5: मशीन में दर्ज हर वोट आम तौर पर वैध वोट है; फिर से जाँचना पड़े, तो परिणाम-बटन दबाकर उस बूथ का परिणाम दोबारा दिखाया जा सकता है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]

परिणाम घोषित कीजिए, प्रमाण-पत्र दीजिए

- हर उलझन सुलझे और गिनती पूरी हो, तब प्रारूप 7 में अंतिम परिणाम-पत्र; हर उम्मीदवार के कुल वोट और परिणाम घोषित कीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297]
- आयोग ने कुछ और निर्देश न दिया हो, तो परिणाम घोषित होंगे; सबसे ज़्यादा वैध वोट वाला उम्मीदवार निर्वाचित। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- निर्वाचित उम्मीदवार को आयोग के तय प्रारूप में प्रमाण-पत्र; देते समय प्राप्ति रसीद और उसके हस्ताक्षर लीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- आयोग को: प्ररूप-7, सारणी-क (ज़िला परिषद के निर्वाचित सदस्य), सारणी-ख (पंचायत समिति के), और सारणी-क व ख की CD। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- प्ररूप-7, सारणी-क और सारणी-ख पर: रिटर्निंग अधिकारी का नाम, साफ़ हस्ताक्षर, तारीख़, जगह और मोहर। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- शपथ के प्रावधान: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 24; पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 और 76। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 289]

आदेश: लॉटरी और आयोग को भेजे जाने वाले कागज़

25. परिणामों की घोषणाः—

मतों की गणना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों की प्ररूप–7 में विवरण तैयार करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है तो परिणाम घोषित किये जायेगें। उस अभ्यर्थी को जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त हुये है, उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि मतों की गणना के पश्चात किन्ही अभ्यर्थियों के बीच में मतों की समानता पायी जाय और केवल एक मत को जोडने से ही अभ्यर्थियों में से किसी को भी निर्वाचित घोषित किये जाने का हक मिलता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका कार्यवाही विवरण बनाया जावेगा, जिस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी यदि वे करें तो कराये जायेंगे। कार्यवाही विवरण को अन्य कागजात के साथ पृथक लिफाफे में रख कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–7) में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पक्ष में लॉट निकला है, के सामने डाले गये मतों के आगे यथानुकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी। **लॉटरी निकाले जाने की सम्पूर्ण प्रकिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।**

26. निर्वाचन का प्रमाण–पत्रः—

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन का प्रमाण–पत्र दिया जायेगा। निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण–पत्र देने पर ऐसे अभ्यर्थी से प्राप्ति रसीद भी प्राप्त की जाये और उसके विधिवत हस्ताक्षर भी लिए जायें। राज्य निर्वाचन आयोग को, परिणाम घोषित करने पर नीचे के पैरा 27 में वर्णित सामग्री/कागजात भेजे जायें।

27. निर्वाचक के परिणाम के बाद तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :—

1. 1. अंतिम परिणाम–पत्र (प्ररूप–7)
2. 2. सारणी–क में जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
3. 3. सारणी–ख में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
4. 4. सारणी–क एवं सारणी–ख की सॉफ्ट कापी (CD)

उपरोक्त कागजात (क्र. सं. 1, 2 व 3) पर रिटर्निंग अधिकारी का नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए, तारीख एवं स्थान अंकित होना चाहिए एवं रिटर्निंग अधिकारी की मोहर भी लगी हुई होनी चाहिए।

मूल: पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

- वोट बराबर हों, और सिर्फ़ एक वोट जुड़ने से कोई जीत सकता हो: रिटर्निंग अधिकारी उन उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के सामने तुरंत लॉटरी निकालेंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]

लॉटरी निकालने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]

1. अंतिम परिणाम-पत्र (प्ररूप-7) [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
2. सारणी-क: ज़िला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की सूची [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
3. सारणी-ख: पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की सूची [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
4. सारणी-क और सारणी-ख की सॉफ़्ट कॉपी (CD) [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]

- क्रम 1, 2 और 3 पर: रिटर्निंग अधिकारी का नाम और साफ़ हस्ताक्षर, तारीख़ और जगह, और मोहर। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]

रिज़ल्ट चढ़ते ही यूनिट दोबारा सील कीजिए

- रिज़ल्ट प्रारूप 14 के भाग II और प्रारूप 7 वाले परिणाम-पत्र में चढ़ जाए, तब नियम 52-क के तहत यूनिट दोबारा सील कीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- सील: रिटर्निंग अधिकारी की, और जो उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता चाहें, उनकी भी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- सील ऐसे कि यूनिट में दर्ज रिज़ल्ट न मिटे, और यूनिट उसकी स्मृति बनाए रखे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- निर्देश: आयोग का सांविधिक आदेश सं. 56/09 (पत्र क्रमांक 6306 दिनांक 18.12.09)। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- बैटरी इसलिए निकालते हैं कि समय के साथ फूलकर मशीन को नुक़सान न पहुँचाए; इससे रिज़ल्ट नहीं मिटता। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 299]

कंट्रोल यूनिट दोबारा सील करने के कदम

कदम	क्या करें
1	सील हटाकर कैंडिडेट सैट सेक्शन की बैटरी निकालिए; फिर कैंडिडेट सेक्शन का कवर दोबारा सील कीजिए।
2	परिणाम-सेक्शन का बाहरी कवर बंद कीजिए, और उसे दोबारा सील कीजिए।
3	यूनिट उसके कैरिंग बक्से में रखिए, और बक्सा दोबारा सील कीजिए।
4	हैंडल पर एड्रेस टैग: पंचायत समिति या ज़िला परिषद का नाम; निर्वाचन क्षेत्र संख्या; बूथ की क्रम संख्या और नाम; कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या; मतदान की तारीख़; गणना की तारीख़।
5	उम्मीदवार या अभिकर्ता चाहें, तो उनकी सीलें भी लगने दीजिए।

स्रोत: पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 299

- बैलेट यूनिटें भी इसी सांविधिक आदेश से सील होंगी; दोबारा सील की गई सारी यूनिटें भंडारण के बड़े बक्सों में। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 299]
- जाँच के लिए कोई मतदान यूनिट बक्से से निकली हो, तो उसे वापस बक्से में रखकर सील कीजिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 299]

MPSV और MPMV: आदेश में सिर्फ़ मेमोरी मॉड्यूल की सील

- आदेश: ECIL की MPSV और MPMV से मतदान हुआ हो, तो गिनती पूरी होने पर इन ईवीएम को सील नहीं किया जाएगा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298, 299]
- कंट्रोल यूनिट का एसडीएमएम या डीएमएम निकालकर सिर्फ़ उसी को सील करना है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298, 299]
- SDMM सील करने के निर्देश: पत्रांक 710 दिनांक 20.01.2026। DMM के: पत्रांक 830 दिनांक 23.01.2026। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 299]
- इसके बाद यह ईवीएम अगले मतदान में नया एसडीएमएम या डीएमएम लगाकर फिर काम में ली जा सकेगी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 299]
- ईवीएम मार्गदर्शिका में भी MPSV के लिए यही लिखा है; मशीन की निर्देश पुस्तिका भी SDMM की सील आयोग की तय प्रक्रिया पर छोड़ती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 82; MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 44]

चुनाव के कागज़ों के पैकेट पहचानिए

क्रम	पैकेट
(i)	प्रारूप 12 में मतदाता रजिस्टर
(ii)	बिना इस्तेमाल हुए डाक मतपत्र
(iii)	इस्तेमाल हुए डाक मतपत्र, विधिमान्य या प्रतिक्षेपित, देर से आए डाक मतपत्रों वाले लिफ़ाफ़ों समेत
(iv)	बिना इस्तेमाल हुई मतदाता पर्चियाँ
(v)	इस्तेमाल हुए और बिना इस्तेमाल हुए निविदत्त मतपत्र
(vi)	बिना इस्तेमाल हुए (अधिशेष) मतपत्र, जो मतदान यूनिटों पर लगाने और निविदत्त मतपत्र के लिए छपे थे
(vii)	निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रतियाँ
(viii)	निर्वाचकों की घोषणाएँ और उनके हस्ताक्षरों का अनुप्रमाणन

स्रोत: पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300

- नियम 53-क और सांविधिक आदेश 59/09 (पत्रांक 6491 दिनांक 20.12.09) वाले ये पैकेट सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नहीं खुलेंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300]

पैकेट सील कीजिए, लोहे के संदूक में रखिए

- (iii) और (viii) गिनती के समय ही बनेंगे, और गिनती ख़त्म होते ही सील होंगे। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300]
- मौजूद उम्मीदवारों और अभिकर्ताओं को बताइए: इन पैकेटों पर अपनी सील ज़रूर लगाएँ; यह उनके अपने हित में है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300]
- (i), (iv), (v) और (vii) मतदान अधिकारियों से सील होकर आएँगे; गिनती में ज़रूरत नहीं, मिलते ही सील करके लोहे के संदूक में। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300]
- पैकेट सील करने की देखरेख के लिए एक ज़िम्मेदार प्रभारी अधिकारी लगाइए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300]
- लोहे के हर संदूक पर दो ताले, और हर ताला सील। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300]

कार्यवाही लिखिए, उसी दिन कोषागार भेजिए

- सील के बाद कार्यवाही लिखिए: मौजूद उम्मीदवार या अभिकर्ता, उनसे सील लगाने को कहा गया, किसने लगाई, किसने मना किया। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300]
- कार्यवाही विवरण पर हस्ताक्षर, और जो उम्मीदवार या अभिकर्ता मौजूद हों और चाहें, उनके भी; लिफ़ाफ़े में सील करके पैकेटों के साथ रखिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300, 301]
- परिणाम घोषित होते ही, उसी दिन: मशीनें और संदूक कोषागार, उपकोषागार या ज़िला निर्वाचन अधिकारी की तय जगह पर, दो तालों में। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 301]
- एक चाबी कोषागार अधिकारी (या अधिकृत दूसरे अधिकारी) को; दूसरी ज़िला निर्वाचन अधिकारी या उनके नामित वरिष्ठ अधिकारी को। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 301]
- सशस्त्र पुलिस रक्षक दल मशीनें और रिकॉर्ड भेजे जाने तक रहेगा; हो सके तो ढुलाई में भी साथ, लॉग बुक में दर्ज। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 301]
- सील बंद मशीनों और कागज़ों का निस्तारण आयोग के नियम 53-ख वाले आदेश के हिसाब से। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 301]

दोहराइए: मशीन वाली गिनती (1/2)

1 **गणन अभिकर्ता** प्ररूप-10 में नियुक्ति; नियुक्ति पत्र दो फ़ोटो के साथ, गिनती के दिन से कम से कम दो दिन पहले, रिटर्निंग अधिकारी को; प्ररूप-10 की घोषणा गिनती शुरू होने से कम से कम आधा घंटा पहले। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 290, 291]

2 **डाक मतपत्र सबसे पहले** उसी कमरे में जहाँ उस क्षेत्र की गिनती होनी है; उस क्षेत्र की मशीनों की गिनती पूरी होने से पहले डाक मतपत्रों की गिनती पूरी हो जाए। गिनती शुरू होने के तय समय के बाद आया लिफ़ाफ़ा खोला नहीं जाएगा। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 292]

? **उम्मीदवारों या अभिकर्ताओं को स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग और पिंक पेपर सीलें देखने दीजिए; भीतरी कवर की दो पेपर सीलों की क्रम संख्या प्रारूप 14 के भाग I की मद सं. 9 से मिलाइए। परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगी पिंक पेपर सील अविकल (Intact) है?** [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]

हाँ कैरिंग केस या बाकी कोई सील ख़राब मिले, तो भी गड़बड़ की आशंका नहीं; उस बूथ का परिणाम घोषित किया जा सकता है। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294; MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 43]

नहीं पिंक पेपर सील से छेड़छाड़ मिले, तो कंट्रोल यूनिट अलग रख दीजिए, और उसके वोटों का परिणाम निकालने की कोशिश न कीजिए। आगे की बात: 'गड़बड़ वाली मशीन: आदेश क्या कहता है' वाली स्लाइड देखिए। [MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 43; पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]

3 **रिज़ल्ट** कंट्रोल यूनिट ऑन कीजिए और परिणाम बटन दबाइए (MPSV में 'RESULT-I'); हर उम्मीदवार को मिले वोटों की कुल संख्या पैनल पर दिखेगी। रिज़ल्ट दिखाते समय पहले ज़िला परिषद सदस्य का रिज़ल्ट दिखेगा, फिर पंचायत समिति सदस्य का। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 295; MPSV अनुदेश पुस्तिका, पृ. 43; पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]

चित्र "दोहराइए: मशीन वाली गिनती", पेज "मशीन वाली गिनती: ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

दोहराइए: मशीन वाली गिनती (2/2)

4 **प्रारूप 14, फिर प्ररूप-7** गणना पर्यवेक्षक हर उम्मीदवार और नोटा के वोट प्रारूप 14 के भाग II में लिखें, जोड़ भाग I की मद 5 से मिलाएँ, हस्ताक्षर करें और करवाएँ, फिर प्रारूप सौंपें। प्ररूप-7 में मशीन वाले वोटों में डाक मतपत्रों के वैध वोट, नोटा सहित, जोड़िए; कुल जोड़ ज़रूर जाँचिए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296, 297]

5 **वोट बराबर हों** और सिर्फ़ एक वोट जुड़ने से ही कोई जीत सकता हो, तो रिटर्निंग अधिकारी उन उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के सामने तुरंत लॉटरी निकालेंगे; लॉटरी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]

6 **घोषणा** गिनती की हर उलझन सुलझ जाए, तब प्रारूप 7 में अंतिम परिणाम-पत्र। जिसे सबसे ज़्यादा वैध वोट मिले, वह निर्वाचित घोषित; प्रमाण-पत्र देते समय उससे प्राप्ति रसीद और हस्ताक्षर। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 297, 298]

7 **ध्यान दीजिए** MPSV और MPMV में गिनती के बाद ईवीएम सील नहीं होती; सिर्फ़ एसडीएमएम या डीएमएम निकालकर सील होता है, आयोग के निर्देशों से। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298, 299; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 82]

8 **संदूक और अभिरक्षा** कागज़ों के पैकेट लोहे के संदूक में; हर संदूक पर दो ताले, और हर ताला सील। परिणाम घोषित होते ही, उसी दिन, सारी मशीनें और सील बंद संदूक सरकारी कोषागार या उपकोषागार में, या ज़िला निर्वाचन अधिकारी की तय जगह पर, उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300, 301]

चित्र "दोहराइए: मशीन वाली गिनती", पेज "मशीन वाली गिनती: ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य" से। हर डिब्बे का स्रोत उसी डिब्बे में है।

जाँच-सूची: गिनती के दौरान और बाद

- ☐ स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील, और दो पेपर सीलों की क्रम संख्या (भाग I की मद सं. 9 से) जाँची। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 294]
- ☐ प्रारूप 14 के भाग II का जोड़ भाग I की मद 5 से मिलाया, हस्ताक्षर हुए। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296]
- ☐ प्ररूप-7 में मशीन और डाक के वोट, नोटा सहित, जुड़े; नए मतदान का नतीजा कुल जोड़ से पहले। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 296, 297]
- ☐ बराबर वोट पर लॉटरी की वीडियोग्राफी; प्रमाण-पत्र की रसीद; प्ररूप-7, सारणी-क, सारणी-ख और CD आयोग को। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 298]
- ☐ बैटरी निकाली, यूनिट दोबारा सील, एड्रेस टैग लगा; MPSV या MPMV से सिर्फ़ एसडीएमएम या डीएमएम सील। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 299]
- ☐ लोहे के हर संदूक पर दो ताले, हर ताला सील; उसी दिन कोषागार या तय भंडारण में। [पत्र 1299, दि. 03.02.2026, संकलन पृ. 300, 301]

स्रोत

- आदेश 5468, दि. 04.08.2026
- आदेश 9508, दि. 28.09.2026
- आदेश 9836, दि. 03.10.2026
- पत्र 1299, दि. 03.02.2026
- ईवीएम मार्गदर्शिका
- MPSV अनुदेश पुस्तिका

सावधान: यह राज्य निर्वाचन आयोग का दस्तावेज़ नहीं है; न आयोग ने इसे बनाया या जारी किया है, न यह सरकारी तौर पर तैयार हुआ है। यह सिर्फ़ पूरक प्रशिक्षण सामग्री है। अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं; इसमें उनसे कुछ अलग दिखे, तो आदेश और नियम ही मानिए।